पत्रांक / जी0एस0टी0 / 2017–18 / पत्रा0 सं0–184 / 1718032 / 642 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक: 31 अगस्त, 2017

1. **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,**
2. **समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0 / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, उ0प्र0,**
3. **समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), उत्तर प्रदेश,**
4. **समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,**

विषय–जी0एस0टी0 में नए पंजीयन बढ़ाने के संबंध में

इस कार्यालय के पत्र संख्या / जी0एस0टी0 / 2017–18 / 555 / वाणिज्य कर, दिनांक 18.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वैट के अंतर्गत करमुक्त ऐसी वस्तुएं जो जी0एस0टी0 में कर योग्य हो गयी है तथा सेवा क्षेत्र के अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकृत कराने के निर्देश देते हुये पंजीयन हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। जोन हेतु निर्धारित पंजीयन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकृत कराने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जाये:–

1. सर्विस टैक्स विभागीय अधिकारियों के लिये नया क्षेत्र होने के कारण विभिन्न सेवा क्षेत्रों की जानकारी हेतु जोनल स्तर पर एक–एक दिन की वर्कशॉप आयोजित की जाये, जिसमें सेवा क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ चार्टर्ड एकाउंटेंट, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों, नासेन (NACEN) के क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर में तैनात अधिकारियों को आमंत्रित किया जाये तथा अपने जोन में ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाये, जो सेवा क्षेत्र के दायरे में आते हैं। अधिकारियों की संख्या के अनुसार ये कार्यशालायें एक से अधिक भी आयोजित की जा सकती हैं तथा आयोजित कार्यशाला की सूचना जी0एस0टी0 अनुभाग को जी0एस0टी0 सिंगल प्वांइट कांटेक्ट वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित की जाये तथा श्री राजेश कुमार यादव, असि0कमि0 जी0एस0टी0 को फोन नंबर 7235001084 पर नोट करायी जाये।
2. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग में सेवा कर के बहुत से पंजीकृत व्यापारियों का पंजीयन रिटर्न दाखिल न करने, अपेक्षित माईग्रेशन न करने आदि के कारण जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व ही निरस्त कर दिया गया था। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग से ऐसे निरस्त पंजीयन की सूची प्राप्त कर ली जाये तथा खण्डाधिकारियों द्वारा प्राप्त सूची के आधार पर ऐसे व्यापारियों को चिन्हित किया जाये, जिनके द्वारा अभी भी व्यापार किया जा रहा है। सर्विस टैक्स से प्राप्त सूची जोन में ई–मेल पर एक्सेल फारमेट में पूर्व ही उपलब्ध करायी जा चुकी है। ऐसे व्यापारियों के संबंध में बिजली विभाग से उनके बिजली के बिल की सूचना, श्रम विभाग से उनके यहॉ कार्यरत कर्मियों की

सूचना, नगरनिगम, नगरपालिका आदि से गृहकर आदि की सूचना प्राप्त कर उनके वार्षिक टर्नओवर का अनुमान किया जाये।

इसी प्रकार खण्डाधिकारियों द्वारा अपने खण्ड के क्षेत्र में कार्यरत रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग संस्थान तथा मॉल में किये गये लीजिंग कांट्रैक्ट की सूचना प्राप्त की जाये। रेस्टोरेंट आदि की सूचना विभिन्न ऑन–लाईन सेवा प्रदाताओं जैसे फूड पाण्डा आदि से संकलित की जा सकती हैं। ब्यूटी पार्लर, जिम, कोचिंग संस्थान आदि की सूचना justdial.com, yellowpages आदि प्लेटफार्म के माध्यम से संकलित की जा सकती है। इसी प्रकार होटलों की सूचना भी विभिन्न ऑन–लाईन पोर्टल से संकलित की जा सकती है। इन संकलित सूचनाओं के आधार पर चिन्हित रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, जिम, कोचिंग संस्थान, होटल्स आदि के संबंध में बिजली विभाग, श्रम विज्ञाग, नगर निगम, नगर पालिका आदि से सूचनाएं एकत्रित करते हुये इनके टर्नओवर के संबंध में अनुमान लगाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 25 की उपधारा (8) एवं नियमावली के नियम 16 के प्राविधानों के अनुसार यदि समुचित प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति जो पंजीयन योग्य था, किन्तु उसके द्वारा पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को समुचित प्राधिकारी द्वारा स्वयं पंजीयन प्रदान किया जा सकता है। उक्त प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उपरोक्त स्रोतों से सूचनाएं एकत्र की जाये और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यदि यह स्पष्ट होता है कि संबंधित व्यक्ति का वास्तविक टर्नओवर रू0 20 लाख से अधिक है, किन्तु उसके द्वारा पंजीयन नहीं लिया गया है तो तद्नुसार उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाये। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि सेवा क्षेत्र के अधिकांश व्यवसायों में इनपुट्स का मूल्य बहुत कम होने के कारण तथा नॉलेज स्किल आदि का कम्पोनेंट अधिक होने के कारण अधिकांश सेवा क्षेत्रों में आई0टी0सी0 का लाभ अत्यन्त कम होता है, जिस कारण करदेयता से बचने के लिए सेवा प्रदाता पंजीयन के दायरे से बाहर रहना चाहते हैं। अतः विभाग को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुये सेवा क्षेत्र के अधिक से अधिक व्यापारियों को पंजीकृत कराना होगा। उत्तर प्रदेश में बड़ी व्यवसायिक सेवाओं की खपत कम होने के कारण भी यह आवश्यक हो जाता है कि पंजीयन योग्य सीमा से अधिक के छोटे सेवा प्रदाताओं को अधिक से अधिक पंजीयन के दायरे में लाया जाये और उनसे नियमानुसार कर की वसूली की जाये। इस संबंध में अपंजीकृत चल रहे सेवा प्रदाताओं जैसे कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट, ब्यूटी पार्लर, जिम, ट्रेवेल एजेंट आदि के संबंध में आवश्यकता होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति प्राप्त कर उनके व्यापार स्थल की जॉच भी की जा सकती है, जिससे कि उनके संबंध में उपरोक्त धारा 25 (8) एवं नियम 16 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

उपरोक्त निर्देशों से अपने अधिनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुये कडाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा सेवा क्षेत्र के पंजीकृत कराये गये व्यापारियों के संबंध में सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,

31/08/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर, एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश की सेवा में अवलोकनार्थ।

2– ज्वाइंट डायरेक्टर (संख्या) वाणिज्य कर, मुख्यालय को अनुपालनार्थ।

31/08/17

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

o/c